केवल राजकीय प्रयोगार्थ

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक (प्रथम संशोधन)

सेवा नियमावली, 2011

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
कृषि भवन, लखनऊ।

शुद्धि-341
20-12-2011

उत्तर प्रदेश शासन,
कृषि अनुभाग–4
संख्या–2081/12–4–11–1780/91
लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

16-12-11

मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011, की एक प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

राम गोपाल मौर्य
संयुक्त सचिव।

DD(Adm.)

संख्या–2081(1)/12–4–11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

Print
16.12.11

1. कार्मिक अनुभाग–2
2. वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2
3. कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उक्त नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया इसे साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए इनकी प्रकाशित 20–20 प्रतियॉ शासन को शीघ्र उपलबध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल

2647
DD(Hq.)

1583
AO(HA)

आज्ञा से,
16/XII/11
(अमरनाथ उपाध्याय)
अनु सचिव।

A.D.(A.(Adm.)
Agri Dep. U.P.

19/12/11
उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)
उत्तर प्रदेश

श्री सुनील गौतम
21.12
20/12/2011

उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि अनुभाग (4)

संख्या–2087/12–4–2011–1780–1991
लखनऊ : दिनांक– 16 नवम्बर, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1992 को संशोधित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2– उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में,– (एक) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क)"नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कृषि निदेशालय के पदों के संबंध में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से और अन्य पदो के संबंध में सम्भागीय संयुक्त निदेशक, कृषि से है।	(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से है।
(दो) विद्यमान खण्ड–(ग) निकाल दिया जायेगा	

([illegible] कुमार)
अनु० अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

नियम–4 का संशोधन 3– उक्त नियमावली में नियम–4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1

विद्यमान उपनियम

(2)– जब तक कि उप नियम (1)के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमे प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है।

कार्यालय का नाम	क0सं0 पदनाम	पदो की संख्या		
		स्थायी	अस्थाई	योग
(एक) कृषि निदेशालय	वैयक्तिक सहायक 1640–2900 रूपये	1	–	1
	आशुलिपिक 1400–2600रूपये	3	4	7
	आशुलिपिक 1400–2300रूपये	15	7	22
	आशुलिपिक 1200–2040रूपये	13	2	15
(दो)सम्भागीय और अधिनस्थ कार्यालय	आशुलिपिक 1200–2040रूपये	44	48	92
	आशुलिपिक 1400–2300रूपये	–	13	13

परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है। जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हे वह उचित समझें।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(2)– जबतक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:–

क0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	आशुलिपिक	85
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	59
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	25

परन्तु:

(एक) किसी रिक्त पद को, नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुये छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझेः

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रारम्भ के दिनांक को यदि ऊपर यथा अवधारित पदों की संख्या, किसी विशिष्टि वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त पदधारियों की संख्या से अधिक हो जाये तो ऐसी स्थिति में उस पद की कुल संख्या के ऐसे पदधारी, जो अधिक हो, को उच्चतर वेतनमान में किसी पद के विरूद्ध उनके वर्तमान वेतनमान में नियुक्त हुआ समझा जायेगा ताकि उनके वर्तमान वेतनमान में उनका वेतन उच्चतर वेतनमान में किसी पद के विरूद्ध आहरित किया जा सके।

([illegible] कुमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

न

4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
गयों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :–	भर्ती का स्रोत	5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–
सीधी भर्ती द्वारा।	(1)आशुलिपिक–	सीधी भर्ती द्वारा।
1200–2040 रूपये वेतनमान के ऐसे आशुलिपिकों जो मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कार्यरत हों, में से पदोन्नति द्वारा।	(2)वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
1400–2300 रूपये वेतनमान के ऐसे आशुलिपिकों जो मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कार्यरत हों, मे से पदोन्नति द्वारा।	(3)वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को आशुलिपिक के पद पर की गई सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल पन्द्रह वर्षो की सेवा और वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पद पर पॉच वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
1400–2600 रूपये वेतनमान के ऐसे आशुलिपिकों जो मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कार्यरत हों, मे से पदोन्नति द्वारा।		
सीधी भर्ती द्वारा।		
1200–2040 रूपये के वेतनमान के ऐसे आशुलिपिकों जो मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कार्यरत हों, में से पदोन्नति द्वारा।		

नियम 8 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
शैक्षिक अर्हताये	विद्यमान नियम	शैक्षिक अर्हता	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	8–सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और हिन्दी आशुलिपि में उसकी प्रति मिनट अस्सी शब्द की गति और हिन्दी टंकण में प्रति मिनट 30 शब्द की गति अवश्य होनी चाहिए।		8. सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता निम्नानुसार होना आवश्यक है:– (एक)– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में कमशः अस्सी शब्द और पच्चीस शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी.सी.सी.) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी कम्प्यूटर पाठ्यकम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यकम या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यकम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(संदीप परमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु	10– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, के प्रथम दिवस को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु	10– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जायं।

नियम 14 का प्रतिस्थापन

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
रिक्तियों का अवधारण	14–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	रिक्तियों का अवधारण	14–नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

(संदीप परमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

8. उक्त नियमावली मे, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती की प्रकिया	प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आंमत्रित किये जायेगें।	सीधी भर्ती की प्रकिया	15– सीधी भर्ती, समय–समय पर यथासंशोधित (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002 के अनुसार की जाएगी।
(2)	किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।		
(3)	लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग सरकार द्वारा दी गयी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर पहुँच सके हों।		
(4)	आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनकी सामान्य उपयुक्तता अर्थात् शैक्षिक योग्यता इत्यादि को दृष्टि में रखते हुयें, उनके नाम योग्यता कम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक(किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।		

([illegible])
अनुसचिव,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

नियम 16 का संशोधन

9. उक्त नियमावली मे, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रखा दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमे निम्नलिखित होगें–– (I) नियुक्ति प्राधिकारी, (II) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई अधिकारी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी। (III) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा।	(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पद यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिये नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। टिप्पणी:– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम –निर्देशन समय– समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन– जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम 21 का प्रतिस्थापन

10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतदुद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
वेतनमान	21(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	वेतनमान	21(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियो के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है:–		(2) उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार है:–

(सतीश कुमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

पद का नाम	वेतनमान
(एक) कृषि निदेशालय—	
(क) आशुलिपिक	1200–30–1560–द0रो0–40–2040 रूपये
(ख) आशुलिपिक	1400–40–1800–द0रो0–50–2300 रूपये
(ग) आशुलिपिक	1400–40–2600–50–2300–द0रो0–
(घ) वैयक्तिक सहायक	60–2600 रूपये 1600–60–2600–द0रो0–75– 2900 रूपये
(दो) सम्भागीय और अधीनस्थ कार्यालय–	
(क) आशुलिपिक	1200–30–1560–द0रो0–40–2040 रूपये
(ख) आशुलिपिक	1400–40–1800–द0रो0–50–2300 रूपये

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतनबैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतनबैण्ड रू0	तत्सदृश ग्रेड वेतन रू0
1. आशुलिपिक	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
2. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600

आज्ञा से,

(डा0जे0एन0चैम्बर)
प्रमुख सचिव,

(संजीव [illegible])
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ0 प्र0 शासन।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.2087/12-4-2011 Dated ...16... ~~November~~ December, 2011

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
AGRICULTURE SECTION-4
NOTIFICATION

Miscellaneous
No.2087...../12-4-2011-1780/1991
Dated: Lucknow:....16..~~November~~ December, 2011

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Agriculture Department Stenographer's Service Rules, 1992:

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURE DEPARTMENT STENOGRAPHER'S SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2011.

Short title and commencement

1 (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture Department Stenographer's Service (First Amendment) Rules, 2011.
(2) They shall come into force at once

Amendment of rule 3:

2. In the Uttar Pradesh Agriculture Department Stenographer's Service Rules, 1992, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3,- (1) for existing clause (a) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing clause	COLUMN 2 Clause as hereby substituted
(a)'appointing authority' in relation to the posts of the Directorate of Agriculture means Director of Agriculture, Uttar Pradesh and in respect of other posts means Regional Joint Director of Agriculture;	(a) 'appointing authority' means the Director of Agriculture, Uttar Pradesh.,

(ii) the existing clause (c) shall be omitted.

(संदीप परमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग-4
उ० प्र० शासन।

Amendment of rule 4 3. In the said rules, in rule 4, for existing sub-rule (2) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1

Existing sub-rule

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:-

Name of Office	Serial number	Name of post	Number of posts		
			Per.	Temp.	Total
(i)Directorate of Agriculture	(a)	Personal Assistant (Rs 1640–2900)	1	–	1
	(b)	Stenographer (Rs 1400–2600)	3	4	7
	(c)	Stenographer (Rs 1400–2300)	15	7	22
	(d)	Stenographer (Rs 1200–2040)	13	2	15
(ii) Regional and Subordinate Offices	(a)	Stenographer (Rs 1200–2040)	44	48	92
	(d)	Stenographer (Rs 1400–2300)	–	13	13

- Number of permanent and temporary posts to be filled by the Administrative Department.

Provided that-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to a compensation or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

COLUMN 2

Sub-rule as hereby substituted

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below:-

Serial No	Name of post	Number of posts
1.	Stenographer	85
2.	Personal Assistant, Grade-2	59
4.	Personal Assistant, Grade-1	25

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper :

Provided further that if on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Agriculture Department Stenographer's Service (First Amendment) Rules, 2011, the number of substantively appointed incumbents in a particular scale of pay exceeds the number of post as determined above, then in such situation such incumbents as are in excess to the total number of that post shall be deemed to have been appointed in their present scale of pay against a post in the higher scale of pay so that their salary in their present scale of pay could be drawn against a post in the higher scale of pay.

(प्रदीप परमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

Substitution of rule 5

4. In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted	
Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:	Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:
(i)Directorate of Agriculture: (a) Stenographer Rs. (1200-2040)	By direct recruitment.	(i)Stenographer	By direct recruitment .
(b)Stenographer Rs. (1400-2300)	By promotion from amongst such Stenographers in the scale of Rs. 1200-2040 as are substantively appointed and are continuing as such on the first day of the year of recruitment.	(2) Personal Assistant Grade-2	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Stenographers who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment
(c) Stenographer Rs. (1400-2600)	By promotion from amongst such Stenographers in the scale of Rs.1400- 2300 as are substantively appointed and are continuing as such on the first day of the year of recruitment.	(3) Personal Assistant Grade-1	By promotion through the Selection Committee from amongst such substantively appointed Personal Assistants Grade-2, who have completed a total fifteen years service including the service rendered on the post of Stenographers and have completed five year substantive service on the post of Personal Assistant Grade-2 on the first day of year of recruitment..
(d) Personal Assistant Rs. (1640-2900)	By promotion from amongst such Stenographers in the scale of Rs.1400- 2600 as are substantively appointed and are continuing as such on the first day of the year of recruitment.		
(ii) Regional and Subordinate Offices: (a) Stenographer (Rs. 1200-2040) (b)Stenographer (Rs 1400-2300)	By direct recruitment. By promotion from amongst such Stenographers in the scale of Rs.1200- 2040 as are substantively appointed and are continuing as such on the first day of the year of recruitment.		

([illegible])
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग-4
उ० प्र० शासन।

Substitution of rule 8

5. In the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted	
Academic qualifications	8. A candidate for direct recruitment to the posts in the service must have passed Intermediate. Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto and he must possess speed of eighty words per minute in Hindi shorthand and thirty words per minute in Hindi Typewriting.	Academic qualification	8. A candidate for direct recruitment to the post of Stenographer in the service must possess the following qualifications : (i) must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) must possess a minimum speed of eighty words and twenty five words per minute in Hindi Shorthand and Hindi Typewriting respectively. (iii) must have passed the Certificate Course in Computing (CCC) conducted by DOEACC society or a computer course recognised by the Government as equivalent thereto, Or must have passed the Computer Course conducted by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or a course recognised by the Government as equivalent thereto.

Substitution of rule 10

6. In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted	
Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 32 years in which the vacancies are advertised by the Commission : Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

(संदीप परमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग–4
उ० प्र० शासन।

Substitution of rule 14

7. In the said rules, for existing rule 14 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted	
Determination of vacancies	14. The appointing authority shall determines and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as a also the number of vacancies to be reserved for candidate's belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.	Determination of vacancies	14. The appointing shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribe and other Categories under rule 6.

Substitution of rule 15

8. In the said rules, in rule 15 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted	
Procedure For direct recruitment	15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form published in the advertisement by the commission. (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds Admit Card issued by the Commission. (3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories as laid down by the Government prepare a list of candidates who have come up to the standard fixed by the commission in this respect.	Procedure For direct recruitment	15. Direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, as amended from time to time.

([illegible])
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग-4
उ० प्र० शासन।

Substitution of rule 21

10. In the said rules, for existing rule 21 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1
Existing rule

Scales of pay 21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as follows :-

Name of the posts — Scales of pay

(i)Directorate of Agriculture:

(a)Stenographer Rs.1200-30-1560-E.B.-40-2040

(b)Stenographer Rs.1400-40-1800-E.B.-50-2300

(c)Stenographer Rs.1400-40-1600-50-2300-E.B.-60-2600

(d) Personal Assistant Rs.1640-60-2600-E.B.-75-2900

(ii) Regional and Subordinate offices

(a) Stenographer Rs. 1200-30-1560-E.B.-40-2040

(b) Stenographer Rs. 1400-40-1800-E.B.-50-2300

COLUMN 2
Rule as hereby substituted

Scales of pay 21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Agriculture Department Stenographer's Service (First Amendment) Rules, 2011 are given as follows :

Name of post	Scale of pay		
	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
1. Stenographer	Pay Band-1	5200-20200	2800
2. Personal Assistant Grade-2	Pay Band-2	9300-34800	4200
3. Personal Assistant Grade-1	Pay Band-2	9300-34800	4600

By order

(Dr.J.N.CHAMBER)
Principal Secretary

(संदीप परमार)
अनुभाग अधिकारी,
कृषि अनुभाग-4
उ० प्र० शासन।